भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2523
दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

असम में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां

2523. श्री जयन्त बसुमतारीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) असम में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की कुल संख्या कितनी है और वर्ष 2019 से जल जीवन मिशन के अंतर्गत शमन उपायों के तहत कवर की गई इन बस्तियों की संख्या कितनी है,
(ख) क्या अभी तक आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां, जहां शमन उपाय नहीं किए गए हैं, के संबंध में केंद्र और असम राज्य के आंकड़ों के बीच कोई विसंगतियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या असम में केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा डिजाइन किए गए किसी आर्सेनिक-सुरक्षित कुएं का निर्माण किया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): असम राज्य द्वारा जेजेएम की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में सूचित किया गया है, जल जीवन मिशन के प्रारंभ में आर्सेनिक प्रभावित 3,151 बसावटें थीं। दिनांक 10.03.2025 की स्थिति के अनुसार इन सभी 3,151 बसावटों में पाइप जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से सुरक्षित पेयजल का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर) ने सूचित किया है कि सीजीडब्ल्यूबी के नमूने लेने के स्थान और राज्य बसावट-वार नमूना स्थान अलग-अलग हैं। इसलिए सीजीडब्ल्यूबी और जेजेएम के आर्सेनिक प्रभावित भूजल आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती। तथापि, सीजीडब्ल्यूबी भूजल वार्षिक पुस्तक, भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट के माध्यम से तथा न्यूनीकरण विधि सहित पाक्षिक गुणवत्ता सतर्कता के माध्यम से भी राज्य सरकार के साथ अपने डाटाबेस का नियमित रूप से आदान-प्रदान कर रहा है।

(ग) और (घ): सीजीडब्ल्यूबी ने आर्सेनिक मुक्त कुओं के डिजाइन को राज्य जेजेएम सहित राज्य विभागों के साथ साझा किया है और सीजीडब्ल्यूबी ने सूचित किया है कि राज्य जेजेएम विभाग ने इसे अपनी सभी फील्ड इकाइयों के साथ साझा किया है। तथापि, जैसा कि सूचित भी किया गया है, सीजीडब्ल्यूबी ने असम में आर्सेनिक मुक्त किसी कुएं का निर्माण नहीं किया है।

मार्च 2023 में पेयजल उपचार प्रौद्योगिकियों पर एक पुस्तिका जारी की गई थी ताकि सभी हितधारकों के बीच उपलब्ध नई तकनीकों के बारे में जानकारी का प्रसार किया जा सके ताकि स्थानीय मुद्दों और जल गुणवत्ता प्रभावित गांवों में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली तकनीकों का उपयोग करके पेयजल उपचार संयंत्रों के प्रदर्शन और कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके। राज्य तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर उपयुक्त जल शोधन प्रणाली शुरू कर सकते हैं।

चूँकि जल राज्य का विषय है अत: जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के प्रकाशन बीआईएस: 10500 को बेंचमार्क के रूप में अपनाया गया है।

*****